REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032021-226058 CG-DL-E-24032021-226058

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1203]	नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 2021/चैत्र 2, 1943
No. 1203]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 2021/CHAITRA 2, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2021

का.आ. 1300(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
		महाराष्ट्र राज्य में तालोडा के निकट रारा – 753बी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर
600	753बीई	शाहदा, शिरपुर, चोपड़ा, यावल, रेवर को जोड़ने वाला और मध्य प्रदेश राज्य में बुरहानपुर
		के निकट रारा – 753एल के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

		٦
601	548डीजी	

महाराष्ट्र राज्य में नावरे के निकट रारा – 548डी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर

चौफुला के निकट रारा – 65 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और उसके पश्चात अधिसूचना संख्या का. आ. 1146(अ), दिनांकित 11 मार्च, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा.सं. एनएच-14012/4/2021-पी एंड एम(पार्ट)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2021

S.O. 1300(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

	Serial No.	New	
		National Highway	Description of National Highways
		No.	
	(1)	(2)	(3)
	600	13300	The Highway starting from its junction with NH-753B Taloda connecting Shahada, Shirpur, Chopda, Yawal, Raver in the state of Maharashtra and terminating at its junction with NH-753L near Burhanpur in the state of Madhya Pradesh.
	601	548DG	The Highway starting from its junction with NH-548D near Nhavare and terminating at junction of NH-65 near Chouphula in the State of Maharashtra.

TABLE

Footnote: The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 1146 (E), dated 11th March, 2021.

[F. No. NH-14012/4/2021-P&M(Pt.)] RAJESH GUPTA, Director